

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या- 5395 /9-1-2015-96सा/13टीसी
लखनऊ: दिनांक ०३ दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-9 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय अधिसूचना सं०-3990/9-1-2013-96सा/13टी०सी०, दिनांक 31 जुलाई, 2013 द्वारा जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत, रामकोला में नामित किये गये सदस्य श्री राजेश्वर गोविन्दराव पुत्र श्री विश्राम गोविन्द राव, वार्ड सं०-9, मों काली मंदिर, रामकोला, कुशीनगर का मनोनयन निरस्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-5395 (1)/9-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उ०प्र० असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में दिनांक ०३ दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित कराकर उसकी 20 मुद्रित प्रतियां नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, सातवां तल लखनऊ को कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-5395 (2)/9-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
4. **स्पीड पोस्ट** -जिलाधिकारी, कुशीनगर।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रामकोला, कुशीनगर।(द्वारा जिलाधिकारी)
6. **संबंधित सदस्य।(द्वारा जिलाधिकारी)**
7. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय साइट पर अपलोड किया जाना एवं समस्त संबंधित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।